न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 295/2015/डिक्री

जगदीश पिता नारायणलाल डांगी
निवासी अमीरामा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. भैरूलाल पिता नारायणलाल डांगी
2. भागुबाई बेवा नारायण डांगी
3. गुलाबबाई बेवा कालु डांगी
   सभी निवासी अमीरामा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
4. राज्य जरिये तहसीलदार बडीसादडी

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बडीसादडी
दिनांक 18.06.2015 प्रकरण सं. 243/2013

उपस्थित – 1. श्री दिनेश दायमा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1
3. श्री शांतिलाल बसेर – रेस्पोडेन्ट –3

निर्णय दिनांक– 30.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 03/06/2013 को वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे अन्तर्गत धारा 88,188, व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चाहा गया जिसमे प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील कराये बिना ही उनके विरूद्ध दिनांक 05/05/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए दिनांक 18/06/2015 को कैम्प कोर्ट मे शपथ पत्र साक्ष्य वादी के आदेश 18 नियम 4 जा0दी0 के तहत रिकार्ड पर लेकर साक्ष्य मे प्रदर्श–पी 1 जमाबन्दी एवं प्रदर्श– पी 2 गोदनामा रिकार्ड पर लेकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करने का अवलम्बन लेते हुए प्रकरण का निस्तारण मेरिट्स पर करते हुए गोद लेने को आधार कायम करके ग्राम अमीरामा के खाता संख्या 60 की आराजी नम्बर 229 रकबा 1.06, 234/1 रकबा 0.12 बीघा, आ.न. 234/2 रकबा 0.06 बीघा, आ.न. 235 रकबा 0.03 बीघा, आ.न. 307 रकबा 1.08 बीघा, आ.न. 502 रकबा 5.17 बीघा, आ.न. 523 रकबा 4.09 बीघा, आ.न. 530/1 रकबा 1.03 बीघा, आ.न. 530/2 रकबा 0.05 बीघा आ.न. 610 रकबा 2.01 बीघा, आ.न. 880

रकबा 2 बीघा, आ.न. 881 रकबा 0.09 बीघा, आ.न. 885 रकबा 0.11 बीघा, आ.न. 888 रकबा 0.11 बीघा, आ.न. 1069 कुल किता 15 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा ग्राम अमीरामा तहसील बडीसादडी मे स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन वादपत्र की प्रोपर तामील ही नही हुई थी, आदेश 4 नियम 1 व 5 के तहत जारी सम्मन दिनांक 05/09/2013 की तामील किसी बंशीलाल की अनुंष्ट निशानी से किसी बंशीलाल पर होना प्रमाणित होता है जबकि बंशीलाल नामक कोई शख्त अपीलार्थी का पारिवारिक सदस्य नही है फिर भी गलत व्यक्ति की हुई तामील के प्रोपर तामील मानकर दिनांक 05/05/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करने मे वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपने निर्णय गोदपुत्र एवं गोदनामे को बिना साक्ष्य के प्रमाणित मानकर अपीलार्थी को उसे पैतृक हक हिस्से से महरूम करके अवैधानिक त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भेरूलाल द्वारा दिनांक 14/10/2013 को 100/– रू. के स्टाम्प पर एक इकरारनामा गांव के मौतबीरान के समक्ष इस अभिकथन का कातिब कराकर अपीलार्थी को सुपुर्द किया कि पिताजी के हिस्से मे तेरा 1/2 हिस्सा सुपुर्द कर रहा मॅ। मेरे द्वारा राजस्व एवं फौजरादारी कार्यवाहियो को विड्रो कर लुंगा साथ ही यह भी अंकित कराया कि बडे पिता कालूजी के पांच जाईन्दा लडकियां है जिन्होने हकदारी का दावा कर रखा है उसमे जो हिस्सा अपीलार्थी को मिलेगा उसमे से आधार रेस्पोडेन्ट भेरूलाल का भी रहेगा। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट अपने द्वारा किये गये अभिकथनो से मुकर कर लॉ ऑफ एस्टोपल से प्रतिप्रन्धित होते हुए भी एक पक्षीय निर्णय पारित कराने मे अवैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट को जानकारी नही थी। सर्वप्रथम निर्णय एवं डिक्री घोषणा, बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की जानकारी दिनांक 01/10/2015 को हुयी। अपीलार्थी ने अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय की पत्रावली संख्या 243/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18/06/2015 निरस्त फरमायी जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण (अपीलान्ट) को समुचित तामील नही कराई गई है। कैम्प कोर्ट मे किसी प्रकार का लिखित राजीनामा पेश नही हुआ है तथा न ही रिकार्ड पर है जबकि लोक अदालत मे निर्णय राजीनामे पर आधारित है। गोदनामे के बिन्दु पर गुणावगुण पर निर्णय नही हो सका है। गोदनामे के मात्र फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे लगी है जो प्रदर्श के रूप

मे उपयोग मे भी नही ली गई है। ऐसा दस्तावेज विधिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संज्ञान मे नही लिया जा सकता है। अनुबन्ध जगदीश व भैरू के बीच दिनांक 14/10/2013 को होना बताया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम कर निर्णय किया जाता तो सभी बिन्दू अपने आप स्पष्ट हो जाते। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण अपास्त होने योग्य है जिसके कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि दावे की जानकारी प्रतिवादीगण को थी। चाहते तो कोर्ट मे हाजिर हो सकते थे। जमाबन्दी मे भी जगदीश मु0 कालु लिखा है तथा 1/2 हिस्सा स्पष्ट रूप से उल्लेखित है इस प्रकार एक व्यक्ति को दो जगह की सम्पत्ति नही मिल सकती है। उन्हे कालुलाल की भूमि मे हक मिल गया है जिसका अमल दरामद भी हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे भागुबाई का शपथ पत्र उपलब्ध है जो दोनो की मॉ है उसमे भी दिनांक 02/07/1996 के गोदनामे का जिक्र है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि श्री जगदीश मु0 कालु विधिवत रूप से श्री कालु के गोद गया है जिसके कारण वह कालु के गोद जाने के कारण उसके बराबर 1/2 हिस्से का हकदार बन जाता है। यही निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त राजस्व रिकार्ड एवं पंजीबद्ध गोदनामे तथा श्रीमती भागुबाई के शपथ–पत्र के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक भूल होना जाहिर नही होता है। फलतः अपील अपीलान्टस खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) बडीसादडी प्रकरण संख्या 243/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18/06/2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़